<u>परामर्श संख्या – 1</u>

सं॰ - ए - 110011/07/2020 /सी.ए.क्यू.एम. -वी.पी.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षत्रों में,
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

इंडियन आयल भवन, 1, श्री औरोबिन्दो मार्ग,
युसूफ सराय, नई दिल्ली-110016
दिनांक: 03, फ़रवरी, 2021

सेवा में,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़,

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ,

मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, नई दिल्ली

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय: ई -वाहनों / जीरो एमिशन वाहनों को उपलब्ध कराने हेतु आदेश देने के लिए आयोग की ओर से परामर्श|

महोदय,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसकी - 20.01.2021 को आयोजित दूसरी बैठक में ई -वाहनों / जीरो एमिशन वाहनों को उपलब्ध कराने हेतु एक नीति बनाने के सम्बन्ध में चर्चा की |

2. दिल्ली व एन सी आर में विशेषतः पी. एम. 2.5 का वायु प्रदूषण स्तर ऊँचा है| वाहनों में अधिक बढ़ोत्तरी है और वे वर्तमान प्रदूषक सांद्रता (Pollution concentrations) बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान देते हैं| दिल्ली एवं एनसीआर में अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ वाहन एमिशन को नियन्त्रित करने के लिए और उपाय किए जाने की आवश्यकता है एवं वाहन खंड में जीरो एमिशन वाहन/बिजली से चलने वाले वाहनों में प्रदूषण को कम करने की पर्याप्त क्षमता है|

3. उपरोक्त के अनुसार परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ तकनीकी उपयोग उपायों पर अधिक ज़ोर देने की आवश्यकता है, क्षेत्र में जीरो एमिशन वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों में हस्तक्षेप करके एक व्यापक दिशा निर्देश विकसित करने की भी आवश्यकता है| इसमें अल्पकालीन, मध्य कालीन और दीर्घकालीन कार्यवाही शामिल की जानी चाहिए|

4. आयोग का विचार है कि वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए यह ज़रूरी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए शून्य उत्सर्जन वाहन अधिदेश को अंतिम रूप दिया जाए और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की राज्य सरकारें, एक बड़े बदलाव के तहत जीरो एमिशन वाहन और इ-मोबिलिटी प्रोत्साहित करने के लिए नीति के अंग के रूप में समय बद्ध ढंग से लागू करें|

5. राज्य सरकारों/ जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा ऐसी कार्य योजना में अन्य विषयों के साथ निम्नलिखित प्राथमिकता क्षेत्र हो सकते हैं: -

(i) प्राथमिकता में सार्वजनिक परिवहन का शीघ्र विद्युतीकरण, पैरा ट्रांजिट, फीडर सर्विस, बड़े वितरण बेड़े और सरकारों द्वारा रखे जाने वाले, हाई माइलेज वाहन शामिल हैं |

(ii) उपरोक्त (1) में दिए गए वाहनों के सम्बन्ध में कुछ निश्चित प्रतिशत का आदेश दिया जाए|

(iii) निजी वाहनों के सम्बन्ध में भी निश्चित प्रतिशत का आदेश दिया जाए|

(iv) मध्यावधि या दीर्घावधि योजना में इस प्रतिशतता को बढ़ाया जाए|

(v) निजी वाहनों की तुलना में ऑटोरिक्शा, बस, फीडर सर्विस, सरकारी वाहनों की प्रतिशतता का अधिदेश ऊँचा हो सकता है|

(vi) चार्ज करने के लिए ढांचा, स्वैपिंग स्टेशन आदि जैसी सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए |

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद आयोग ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों को परामर्श देने का निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जीरो एमिशन वाहनों को प्रोत्साहित करने हेतु उपरोक्त विस्तृत रूपरेखा के अनुसार उचित नीतिगत निर्णय लेंगे

भवदीय

हस्ता०

(राजेश कुमार)

सचिव

सचिव, सी.ए.क्यू एम. एवं ए. ए.

rajesh.k64@gov.in

Tele. No. 011-20861978

प्रतिलिपि

1. श्री शत्रुजीत कपूर, प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़.
2. श्री आर. के. सिंह, प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ.
3. श्री राजीव वर्मा, प्रधान सचिव एवं आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
4. श्री रवि जैन, सचिव एवं परिवहन आयुक्त, राजस्थान सरकार, जयपुर.